भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 81
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

'आत्मनिर्भर भारत' अभियान

81. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान आरंभ किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हो;
(ग) सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत अब तक की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार के समक्ष इस संबंध में आ रही विभिन्न बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा इन बाधाओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है- दिनांक 12 मई, 2020 को घोषित ₹20 लाख करोड़ का एक विशेष आर्थिक पैकेज जिसका लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार व स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कठिन प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार करने, कारोबारी सुगमता बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया के लिए नीतियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका यह भी लक्ष्य है कि कृषि और मत्स्य पालन संबंधी सुधारों का समर्थन किया जाए और कृषि एवं पशुपालन संबंधी बुनियादी ढांचों में वृद्धि की जाए। इस अभियान के अंतर्गत उपायों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, विद्युत वितरण कंपनियों, गैर-बैंकिग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य व्यवसायों के लिए नकदी सहायता बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। उपर्युक्त घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13 से 17 मई, 2020 तक विभिन्न उपायों/नीतियों/स्कीमों को घोषित किया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी सभी मंत्रालयों/विभागों को मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों में यह दर्शाने हेतु कि घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए, आयात निर्भरता को कम करते हुए, निर्यात आदि को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में ये प्रस्ताव किस प्रकार सहायता करेंगे, के बारे में निदेश देते हुए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणाओं को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध- I** पर है।

(घ) और (ङ): आत्मनिर्भर पैकेज विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। घोषित पहलों तथा सुधारों का उद्देश्य इन सेक्टरों में सामना की गई विभिन्न बाधाओं का निवारण करना है।

******

<u>**अनुबंध- I**</u>

दिनांक 14 सितंबर, 2020 के उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) और (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क. दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणांए

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹3 लाख करोड़ की आकस्मिक कार्यशील पूंजी सुविधा।
2. भारग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ का गैण ऋण।
3. एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश।
4. एमएसएमई की नई परिभाषा तथा एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
5. ₹200 करोड़ की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. व्यवसाय और संगठित कामगारों के लिए और 3 माह यानि जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विस्तार।
7. ईपीएफओ में शामिल सभी संस्थापनाओं के लिए अगले महीनों के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों क लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाना है।
8. एमसीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए ₹30,000
9. एनबीएफसी/एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रु. का आंशिक साख गारंटी योजना 2.0
10. डिस्कोम्स के लिए 90 हजार करोड़ रु. का नकद अंतरण
11. ठेकेदारों को दिए गए छूट जिसमें छः माह तक का संविदा समाप्त करने की जिम्मेदारी का विस्तार किया गया है जिसमें ईपीसी के संबंध एवं समझौता छूट शामिल है।
12. रियल स्टेट परियोजनाओं को रियायत, सभी पंजीकृत परियोजना का पंजीकरण एवं समाप्ति तिथि को छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
13. व्यवसाय को कर रियायत, चैरिटेवल ट्रस्ट गैर-कारपोरेट व्यवसायों एवं व्यवसायियों को लंबित आयकर वापसी के विषय में यथाशीर्घ जारी होगा।
14. टीडीएस (स्रोत पर काटा गया कर) एवं टीसीएस (स्रोत पर संग्रहित कर) पर वित्तीय वर्ष 20-21 के बची हुई अवधि पर 25 प्रतिशत तक की करो में छूट।
15. कर संबंधित विभिन्न अनुपालनों की देय तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिनांक 14 मई, 2020 को की गई घोषणांए

16. दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्य अनाज की आपूर्ति
17. तकनीकी प्रणाली की सहायता से प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य दुकान से मार्च 2021 तक राशन की पहुंच, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
18. प्रवासी कामगारों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया आवासीय परिसर योजना को लागू किया जाएगा।
19. शिशु मुद्रा कर्जदार के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता-1500 करोड़ रु. की रियायत।
20. स्ट्रीट विक्रेता के लिए 5000 करोड़ रु. की साख सुविधा।
21. आवासीय क्षेत्र एवं मध्यम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन हेतु एमआईजी योजना पीएमएवाई (शहरी) के तहत 70,000 करोड़ रु. की साख संबंधित सब्सिडी योजना।
22. सीएएमपीए निधियों का प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रु.।
23. नबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आपातकाल कार्यकारी पूंजी
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को रियायत साख प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़।

(ग) दिनांक 15 मई, 2020 को की गई घोषणांए

25. किसानों के लिए फार्म-गेट हेतु कृषि अवसंरचना निधि के लिए 1 लाख करोड़।
26. सुक्ष्म खाद्य उद्योगों (एमएफई) के औपचारिककरण के लिए 10,000 करोड़ रु. की योजना
27. प्रधानमंत्री मत्सय संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुवारों के लिए 20,000 करोड़ रु.।
28. राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम।
29. पशु पालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए 15,000 करोड़।
30. शाकीय खेती प्रोत्साहक, 4000 करोड़ रु. का आउटलेक।
31. मधुमक्खी पालन पहल-5000 करोड़ रु.।
32. टोप से कुल तक 5000 करोड़ रु.।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासकीय एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय।
    i. किसानों के लिए बेहतर कीमत की पहुंच के लिए आवश्यक उत्पाद अधिनियम में संशोधन
    ii. किसानों को विपणन चुनाव देने के लिए कृषि विपणन सुधार।
    iii. कृषि उत्पाद कीमत गुणवत्ता आश्वासन।

(घ) दिनांक 16 मई, 2020 को की गई घोषणांए

34. कोयला क्षेत्र में व्यवसायिक खनन की शुरूवात।
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर।
36. कोलया क्षेत्र में उदारी व्यवस्था।
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश एवं नीतिगत सुधारों को बढ़ाना।
38. रक्षा उत्पादों में आत्मविश्वास को बढ़ाना।
39. रक्षा उत्पादों में नीतिगत सुधार।
40. नागर विमानन के लिए कार्यदक्ष एयर स्पेस प्रबंधन।
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्वस्तरीय हवाई अड्डें।
42. वायुयान रखरखाव, मरम्मत और जांच (एमआरओ) के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।
43. ऊर्जा क्षेत्र में दर सूची नीति सुधार, केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण।
44. सामाजिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण व्यवहारिता गैप निधि योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।
45. अंतरिक्ष क्रियाकलापों में निजी सहभागिता प्रोत्साहन।
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार।

(ङ) दिनांक 17 मई, 2020 को की गई घोषणांए

47. एमजीएनआरईजीएस को रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ की वृद्धि।
48. भारत को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में निवेश की वृद्धि।
49. कोविड के पश्चात तकनीकी से प्रेरित शिक्षा इक्विटी के साथ।
50. आईबीसी संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता के लिए अधिक बढ़ावा।
51. कंपनी एक्ट डिफोल्ट के लिए अपराधी दंड।
52. कारपोरेट के लिए व्यापार करने में सुगमता।
53. एक नये, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति।
54. राज्यों की ऋण सीमा को केवल 2020-21 के लिए 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढ़ाना एवं राज्य स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहन।

******